



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक-15.09.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 127/2023 धारा 302/34 भादवि में नामजद हत्यारोपी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 धारदार नुकीला हथियार बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.09.2023 को थाना चांदीनगर पर महाराजुद्दीन (ग्राम चौकीदार) पुत्र छग्गा निवासी ग्राम सांकलपुट्टी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त आकाश उर्फ डूमक पुत्र दिनेश निवासी ग्राम सांकलपुट्टी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सुभाष पुत्र जगपाल की पुत्री की धारदार नुकीले हथियार से वार कर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर



थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 127/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान व प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त 1.गौरव पुत्र राजवीर निवासी सांकलपुट्टी थाना चांदीनगर जनपद बागपत व 2-शिवा पुत्र पवन निवासी सांकलपुट्टी थाना चांदीनगर जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये तथा धारा 34 भादवि की वृद्धि की गई।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 127/23 धारा 302/34 भादवि में नामजद हत्यारोपी 01

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 धारदार नुकीला हथियार बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश उर्फ डूमक पुत्र दिनेश निवासी ग्राम सांकलपुट्टी थाना चांदीनगर जनपद बागपत

### बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 धारदार नुकीला हथियार ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री अभिषेक कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-वरिष्ठ उ०नि० श्री नन्दकिशोर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-उ०नि० श्री राहुल प्रताप सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 317 मोहिन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 5-का० 938 जसवन्त सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 6-का० 1036 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 15.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 609/23 धारा  
147/149/364/302/201/34 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को मा0  
न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्तों की निशादेही पर मृतक  
का सामान तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल की बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 609/23 धारा 147/149/364 /302/201/34 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्तों की निशादेही पर मृतक अमन तोमर का सामान तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल बरामद की है।



उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अमित पुत्र गजे सिंह निवासी राजपुर खामपुर थाना बडौत हाल पता आवास विकास कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-हिमान्शु उर्फ पाठा पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम कल्हालती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर हाल पता आवास विकास कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

## बरामदगी का विवरण-

- निशादेही पर मृतक अमन तोमर का सामान ।
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल स्प्लेण्डर प्लस नं0 DL-7S-CC-4435 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 609/ धारा 147/149/364/302/201/34 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।)

## बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री देवेश कुमार सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 41 अनुज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 621 प्रदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-का0 985 विपुल गर्ग थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक- 15.09.2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के



कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरविंद पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम कंडेरा थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 45 पाउच अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-का0 894 अमित कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 15-09-2023

थाना दोघट पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 आयशर कैंटर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 16 पशु बरामद ।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 आयशर कैंटर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 16 पशु बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-सतीश पुत्र वीरपाल निवासी रिडासु थाना खरखौदा जनपद सोनीपत हरियाणा ।
- 2-शाहरूख पुत्र नबाब निवासी मंडियाई थाना सरधना जनपद मेरठ ।
- 3-आसिफ पुत्र मौहम्मद अली निवासी मंडियाई थाना सरधना जनपद मेरठ ।

## बरामदगी का विवरण:-

- 01 आयशर कैन्टर नं0 HR-69C-7663
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 16 पशु ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का0 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 894 अमित कुमारथाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना खेकडा

दिनांक 15.09.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 210/23 धारा  
420/467/468/471/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया  
गिरफ्तार ।

## संक्षिप्त विवरण

दिनांक 04.06.2023 थाना खेकडा पर  
वादी शाराम पुत्र स्व0 राजपाल निवासी  
पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकडा  
जनपद बागपत हाल निवासी सैनिक  
नगर, कासिमपुर कंकरखेडा जनपद मेरठ  
ने लिखित तहरीर दी कि उसके हिस्से  
की आबादी क्षेत्र की कृषि भूमि व मकान



कस्बा खेकडा में स्थित है। वादी के भाई राजेन्द्र, नरेन्द्र, कपिल पुत्रगण राजपाल तथा एक महिला तथा भतीजे योगेश व यवन ने साजिश के तहत प्रार्थी के हिस्से में मिले उक्त मकानात हडपने की बदनीयती से दिनांक 17.09.2019 को एक आपसी सहमति पत्र लिखकर वादी के फर्जी हस्ताक्षर कर तहसील खेकडा मे नोटरी विनोद बंसल से साज कर तैयार कर लिया, प्रार्थी के मकान को हडपने की नीयत से दिनांक 03.01.2020 को अनिल कुमार अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद खेकडा (बागपत) से साज करके एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर प्रार्थी के हिस्से मे मिले दो मकान अपने नाम कर स्थानान्तरित करा लिये। प्रार्थी ने जब राजेन्द्र आदि से बातचीत की तो राजेन्द्र, नरेन्द्र व कपिल आदि ने प्रार्थी के साथ गाली-गलौच करते हुए कहा कि इसकी शिकायत की तो जान से मार देंगे। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 210/23 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 210/23 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

राजेन्द्र पुत्र स्व0 राजपाल निवासी ग्राम ककराला सेक्टर 16 वी द्वारका नई दिल्ली  
।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री रघुराज सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत
- 2- का0 590 रवि कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना खेकड़ा

दिनांक 15.09.2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान लूट की योजना बनाते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस, 01 अवैध चाकू, 03 मोबाइल फोन व 01 मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर प्लस बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान लूट की योजना बनाते हुए 03 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़



गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस, 01 अवैध चाकू, 03 मोबाइल फोन व 01 मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर प्लस बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 387/23 धारा 307/398/401/414 भादवि व 3/25,4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-शाकिर पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम शेरपुर लोहारा थाना बडौत जनपद बागपत हाल पता अशोक बिहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

2-फैसल उर्फ सानू पुत्र इरशाद निवासी ग्राम भौं थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर हाल पता अशोक बिहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।  
3-फिरोज पुत्र यामीन निवासी फखरपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस ।
- 01 अवैध चाकू ।
- 03 मोबाइल फोन ।
- 01 मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर प्लस ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अनूप कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 339 राकेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-है0का0442 मौ आफाक थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 14 प्रशान्त तालान थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 292 सिराज खाँन थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 15.09.2023

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:-बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिल्लू पुत्र गजेन्द्र निवासी पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 387/15 धारा 6072 आबकारी अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 461/21 धारा 379/411 भादवी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 462/21 धारा 379/411 भादवी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 463/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

5-मु0अ0सं0 464/23 धारा 411/414 भादवी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

6-मु0अ0सं0 388/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-है0का0 287 महेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना चांदीनगर

दिनांक 15.09.23

थाना चांदीनगर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरा हुआ 01 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप नं0 DL-1LAB-2167 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरा हुआ 01 पशु बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0-129/2023 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सरफराज पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-दिलशाद पुत्र हाजी अनवर निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3- परवेज पुत्र उस्मान निवासी सरूरपुर थाना कोतवाली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरा हुआ 01 पशु ।
- एक पिकअप गाडी नं0 DL-1LAB-2167

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0श्री सुशील कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-है.का. 229 चमन सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-है.का. 186 इमरान खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-का0 934 अश्विनी कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।